



उच्च न्यायालय, इलाहाबाद पीठ, लखनऊ

आपराधिक अपील संख्या – 673 वर्ष 2026

आनंद

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, माध्यम से प्रमुख सचिव,
गृह विभाग, लखनऊ तथा अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(गण) की ओर से अधिवक्ता: सुनील कुमार सिंह, सुधीर कुमार तिवारी
प्रतिवादी(गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 28

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर
शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान आपराधिक अपील अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार
निवारण) अधिनियम की धारा 14-ए(2) के अंतर्गत, दिनांक 27.02.2026 को विशेष
न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, लखनऊ द्वारा
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1413 वर्ष 2026 (2024) में पारित आदेश के विरुद्ध
प्रस्तुत की गई है, जो कि मुकदमा अपराध संख्या 129 वर्ष 2025, धारा
105/115(2)/191(2)/351(3)/352 भारतीय न्याय संहिता, थाना महिंगवां, जनपद
लखनऊ से संबंधित है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता की जमानत प्रार्थना अस्वीकृत
कर दी गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलकर्ता को वर्तमान वाद में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। यह भी निवेदित किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलकर्ता का नाम नहीं है तथा उसके विरुद्ध सामान्य भूमिका आरोपित की गई है। यह भी कहा गया कि अपीलकर्ता का नाम घटना के लगभग डेढ़ माह पश्चात प्रकाश में आया। यह भी निवेदित किया गया कि अपीलकर्ता के कथन पर कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई तथा कोई पहचान परेड आयोजित नहीं की गई। यह भी कहा गया कि सह-अभियुक्त नीरज गौतम एवं शिवा, जिनकी भूमिका वर्तमान अपीलकर्ता के समान है, उन्हें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2026 को आपराधिक अपील संख्या 4098 वर्ष 2025 तथा 4096 वर्ष 2025 में जमानत प्रदान की जा चुकी है, अतः समानता के आधार पर अपीलकर्ता भी जमानत का अधिकारी है। यह भी निवेदित किया गया कि अपीलकर्ता दिनांक 04.10.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा उसने अपने आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दिया है। यह भी कहा गया कि जमानत प्रदान किए जाने की स्थिति में वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। यह भी निवेदित किया गया कि अपीलकर्ता द्वारा किसी साक्षी अथवा प्रकरण से संबंधित किसी व्यक्ति को भयभीत या प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है।

उपरोक्त कारणों के आधार पर अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वर्तमान आपराधिक अपील स्वीकार की जाए, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाए तथा अपीलकर्ता को जमानत प्रदान की जाए।

इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलकर्ता ने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर मृतक पर आक्रमण किया, जिससे वह घायल हुआ। यह भी कहा गया कि अपीलकर्ता एवं अन्य अभियुक्तगण को दूरदर्शी यंत्र अभिलेख (सीसीटीवी) में देखा एवं पहचाना गया है, अतः अपीलकर्ता जमानत का अधिकारी

नहीं है और अपील निरस्त किए जाने योग्य है। तथापि, वे अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत अन्य तथ्यात्मक तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, जिसमें प्रथम सूचना प्रतिवेदन में लगाए गए आरोप भी सम्मिलित हैं, के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है; उसके विरुद्ध सामान्य भूमिका आरोपित की गई है; उसका नाम घटना के लगभग डेढ़ माह पश्चात प्रकाश में आया; उसके कथन पर कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई तथा कोई पहचान परेड आयोजित नहीं की गई; सह-अभियुक्त नीरज गौतम एवं शिवा, जिनकी भूमिका समान है, को जमानत प्रदान की जा चुकी है; अपीलकर्ता दिनांक 04.10.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा उसने अपने आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दिया है और उसने यह आश्वासन दिया है कि जमानत मिलने पर वह दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा। इन परिस्थितियों में, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस मत का है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का समुचित मूल्यांकन नहीं किया गया है, अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

अतः अपील स्वीकृत की जाती है। परिणामस्वरूप, दिनांक 27.02.2026 को विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, लखनऊ द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 129 वर्ष 2025, धारा 105/115(2)/191(2)/351(3)/352 भारतीय न्याय संहिता, थाना महिंगवां, जनपद लखनऊ से संबंधित जमानत आवेदन सं0 1413/2026 (2024) में पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है।

आदेशित किया जाता है कि अपीलकर्ता आनंद को उपर्युक्त अपराध संख्या में निजी बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, संबंधित

न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

- (1) अपीलकर्ता विचारण के दौरान अभियोजन का सहयोग करेगा।
- (2) अपीलकर्ता साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (3) अपीलकर्ता अभियोजन साक्षियों पर कोई दबाव या भय उत्पन्न नहीं करेगा।
- (4) अपीलकर्ता कोई अपराध नहीं करेगा।
- (5) अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय या पुलिस के समक्ष सत्य प्रकट करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ हो।
- (6) अपीलकर्ता प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
- (7) अपीलकर्ता साक्ष्य हेतु निर्धारित तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, स्थगन का अनुरोध नहीं करेगा।
- (8) अपीलकर्ता दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत कथन दर्ज किए जाने की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

चूँकि यह आदेश जमानत प्रदान किए जाने से संबंधित है, अतः स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव

नहीं डालेंगी तथा विचारण न्यायालय इनसे प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से निर्णय करेगा।

दिनांक – 17 मार्च, 2026

केकेवी/

(प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

Translated Version. Not for Legal Use.